निर्माण में सामान्यतः 3 पाइपों का प्रयोग किया जाता है। पाइपों को आपस में कालर से जोड़कर सीमेण्ट तथा मोटी बालू 1:2 अनुपात में मिलाकर ज्वाइण्ट को भरा जाता है। पुलिया तैयार हो जाने पर पाइप के ऊपर 60 सेमी० मिट्टी अवश्य रखनी चाहिए तथा दोनों ओर पुलिया के ऊपर खड़ंजा भी बिछाया जाना चाहिए।

पक्की सड़कों का निर्माण : पूर्व निर्मित खड़ंजा मार्ग पर पक्की सड़क बनाते समय खड़ंजों को 'बेस कोट' मान लिया जाता है। खड़ंजे के ऊपर 10 सेमी० मोटाई में 40-63 मिलीमीटर साईज की पत्थर की गिट्टी खोद कर मोटाई देखी जाये तो मोटाई/गहराई 7.00 सेमी० से कम नहीं आनी चाहिए। एक कि०मी० मार्ग पर इस प्रकार की गिट्टी की 330 घन मीटर मात्रा की आवश्यकता होती है। जो लगभग 36 ट्रक होती है।

यदि कच्चे मार्ग को पक्का किया जाना है तो इस गिट्टी की मोटाई 12 सेमी० रखी जाती है और इस प्रकार 396 घन मीटर गिट्टी की आवश्यकता पड़ती है जो लगभग 44 ट्रक होती है।

इस सतह की कुटाई के उपरान्त 3.00 मीटर चौड़ाई में 25.50 मिलीमीटर गेज (साईज) की गिट्टी 10 सेमी० मोटाई में बिछाकर रोलर से कुटाई की जाती है। कुटाई के उपरान्त यदि गिट्टी खोदकर देखी जाय तो गिट्टी की मोटाई 7.00 सेमी० से कम नहीं होनी चाहिए। इस कार्य हेतु 300 घनमीटर गिट्टी की आवश्यकता पड़ती है जो लगभग 33 ट्रक होती है।

दोनों सतह की कुटाई के उपरान्त प्रथम सतह तथा द्वितीय सतह का लेपन कार्य मैक्सफाल्ट (कोलतार) से किया जाता है। प्रथम सतह के लेपन कार्य में 16-44.4 मि०मी० साईज तथा द्वितीय सतह के लेपन कार्य में 10-16 मिलीमीटर साईज की 'डस्ली ग्रीट' का प्रयोग किया जाता है। दोनों सतह के लेपन में कुल 9.60 मीट्रिक तारकोल की आवश्यकता पड़ती है।

साईन बोर्ड :- सभी प्रकार के मार्गों के प्रारम्भ में एक साईन बोर्ड लगाया जाता है जिस पर मार्ग की लम्बाई, लागत, निर्माण का वर्षतथा कार्यदायी संस्था का नाम अंकित किया जाता है। यह बोर्ड मार्ग के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए लगाया जाता है। साथ ही निर्माण कार्य बार-बार तो नही किया जा रहा है, यह भी पता चलता है। जनता इन बोर्ड को छतिग्रस्त न करें तो फायदा उन्हीं का होगा।

भवन निर्माण :- भवन निर्माण में प्रथम श्रेणी की ईंटों का प्रयोग किया जाता है। ईंटों की चिनाई में सीमेन्ट तथा बालू के मिश्रण का अनुपात 1:6 रखा जाता है। चिनाई के उपरान्त पानी से तराई का कार्य 10 दिन तक लगातार जारी रखना चाहिए। छत की स्लैब ढलाई एवं फर्श की तराई हेतु 21 दिन तक पानी से तर करके इन्हें रखा जाना चाहिए। प्रत्येक भवन निर्माण में फ्लोर से लगी हुई दीवारों पर 15 सेमी० का डोडो होना चाहिए। डैम्प प्रूफ कोर्स, छत पर वाटर प्रूफिंग का काम ध्यान देने योग्य है।

यदि आवश्यक मात्रा से कम निर्माण सामग्री कार्यस्थलों पर डाले जाने की शिकायत मिलती है तो तत्काल संबन्धित विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर या मुख्य विकास अधिकारी या जिलाधिकारी को लिखें।

बालिका समृद्धि योजना

उद्देश्य : 1. पुत्रियों एवं उनकी माताओं के प्रति समाज के नकारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना। 2. बालिकाओं के विद्यालयों में नामांकन एवं स्थिरीकरण में योगदान देना।

सुधार : 1. बालिकाओं की विवाह आयु में वृद्धिकरण। 2. बालिकाओं को लाभोन्मुख कार्यकलापों को प्रारम्भ करने में सहायता करना।

लक्षित समूह : गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवारों की वे बालिकाएं जो 15 अगस्त 1997 या उसके बाद पैदा हुई हों।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम रोजगार योजना के अन्तर्गत उल्लिखित मानदण्ड वाले परिवारों को भी लक्षित समूह के अन्तर्गत रखा जा सकता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्ड धारकों को भी इस लक्षित समूह के अन्तर्गत रखा जा सकता है।

मुख्य बिन्दु : 1. जन्म के समय 500 रु० की आर्थिक सहायता। 2. स्कूल/विद्यालय जाने पर छात्रवृत्ति देय होगी जिसका वितरण निम्न प्रकार से किया जाएगा :—

कक्षा 1 से 3 तक	रु० 300 प्रति वर्ष
कक्षा 4 तक	रु० 500 प्रति वर्ष
कक्षा 5 तक	रु० 600 प्रति वर्ष